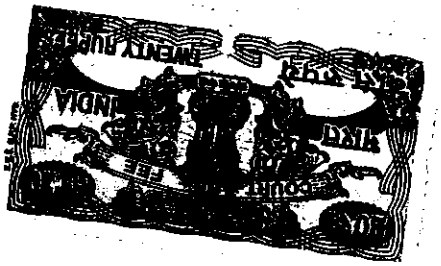

10 mWan-aun| होना है।

(75)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, जिला ग्वालियर म०प्र०

प्र०क्र० :- - -। २०१६। निगरानी A-4157-PBR-16

१- पप्पू लोधी उर्फ जीतेन्द्र लोधी पुत्र
२- श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व० उत्तमसिंह
३- उदल पुत्र
४- राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व० उत्तमसिंह
समस्त निवासीगण ग्राम विक्रमपुर तह० व जिला ग्वालियर म०प्र०

श्री के० के० चतुर्वेदी एड०
द्वारा आज दि. 6-12-16 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-12-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम - - - निगरानीकर्ता

१- सुधरसिंह पुत्र सुन्दरसिंह व्यवसाय कृषि
२- जगदीश पुत्र सुन्दरसिंह व्यवसाय कृषिकार्य
३- निहाल सिंह पुत्र रघुवीरसिंह व्यवसाय कृषि
४- जनवेद सिंह पुत्र रघुवीरसिंह व्यवसाय कृषि
५- श्रीमती भगवती बेवा रघुवीर सिंह
६- श्रीमती देविका बाई पत्नी गब्बरसिंह
७- थानसिंह पुत्र गेदालाल व्यवसाय कृषि
८- प्रीतमसिंह पुत्र गब्बरसिंह
९- गेदालाल पुत्र गब्बरसिंह समस्त जाति लोधीगण
समस्त निवासी ग्राम विक्रमपुर जिला ग्वालियर

- - - अनावेदकगण

निगरानी धारा ४४ (२) म०प्र० भू०रा०संहिता -१९५९ विरूद्ध आदेश दिनांक १६-११-२०१६ प्र०क्र० अ ९५-१६।-अ७० उनमान सुधरसिंह आदि बनाम पप्पू उर्फ जीतेन्द्र आदि मे दिये गये आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

- - - - - - - - - - -

4424 निगरानी
A.4157 PBR/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-12-2016	आवेदकगण की ओर से श्री के०के० चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 16.11.2016 का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि सीमांकन का पुनर्विलोकन का अधिकार तहसील न्यायालय को नहीं है। आवेदक यदि सीमांकन से असंतुष्ट हैं तो सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है। अतः निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। [signature] अध्यक्ष	[signature] 14/12/2016
[signature]		